फर्द अहकाम

ओमप्रकाश बनाम राज्य सरकार

...यालय

...ख्या 27/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/5/22	अधिवक्ता सुनील उप्पल ने प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 का पेश किया गया। रिपोर्ट तहसील से [illegible] हो। दर्ज रजि० हो। अप्रार्थी की तलबी जारी होकर पत्रावली बाद तलबी हेतु दिनांक 18/5/22 को पेश हो। sd	
18/5/22	...पीठासीन अधिकारी दौरे/अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19/5/22 को पेश हो।	
19/5/22	प.प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रकरण समरी प्रोसेडिंग का है जिसमें प्रार्थी की साक्ष्य की [illegible] ही बहस सुनी गई। प्रार्थी का [illegible] किया गया। प्रार्थी का [illegible] बाबा पत्थरगढ़ी का [illegible] विरोध का स्वीकार [illegible] आगामी [illegible] प्रार्थना [illegible] फैसला शुमार होकर [illegible] नम्बर से खारिज हो तथा दाखिल दफ्तर हो। sd	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:55 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

न. 27/2022

उनवान

1. श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र भगवान सहाय, जाति माली, निवासी शिव मंदिर के सामने, बंदोल, ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं जिला जयपुर ।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–19.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम सामोद, पटवार हल्का सामोद, भू.अ.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमू, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 113 मे वर्णित खसरा नं. 1677/2116 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 1678/1 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नं. 2448/1679 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2350 हैक्टेयर स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है।

उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 12.01.2021 व दिनांक 21.10.2021 को आवेदन क्रमांक/एल.आर./2021/164, सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/4029, क्रमांक/भू.अ./2020/4027 की पालना में सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2021 को करवाया गया जो वर्तमान में प्रभावी है।

प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित प्रार्थी की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि के प्रार्थी सींवजोड काश्तकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित भूमि के प्रार्थी द्वारा किये जा रहे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग मे पडौसी सींव जोड काश्तकार अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर व्यवधान उत्पन्न करते रहते है तथा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित सींव डोल मे अनावश्यक तोड फोड करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार महोदय चौमू के समक्ष नियमानुसार आवेदन कर दिनांक 05.02.2021 को प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 मे वर्णितानुसार प्रार्थी की संयुक्त कब्जेकाश्त की भूमि के सहकाश्तकारो व पडौसी सभी आस पडौस के सींवजोड पडौसियो की मौजूदगी मे सीमाज्ञान करवाया गया जिस पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 05.2.2021 को सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार की गई जिस[illegible] आज दिवस तक भी किसी पडौसी पक्षकार ने कोई आपत्ति व [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:55 IST
Reason: SelfAttested

कानूनन न्यायहित में प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व की भू[illegible] जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में किया गया है जिस पर कि प्रार्थी काबिज होक[illegible] उपयोग उपभोग कर रहा है की पत्थरगढी, अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 मे वर्णितानुसार विधि अनुसार तैयार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.02.2021 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद करवाने की विधिक अधिकारी है जिस हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यदि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार नहीं करवायी गई तो प्रार्थी शांतिपूर्वक अपने स्वामित्व की भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगा

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

ससे प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी सकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 1677/2116, 1678/1, 2448/1679 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.2350 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, पटवार हल्का सामोद, भू.अ.नि. क्षेत्र सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित प्रार्थी की भूमि बावत अप्रार्थी द्वारा विधि अनुसार की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 05.02.2021 के अनुसार पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद के आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की तामील हो चुकि है। अधिवक्ता प्रार्थी की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 05.02.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बावत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 05.02.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सीमा खेतान
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी चौमू, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:14:55 IST
Reason: SelfAttested